

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम**  
**श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)**

प्रकरण क्रमांक 1277 / 13  
संस्थित दिनांक-30.12.2013  
F.No.234503004392013

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना मलाजखंड  
जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

गुरुदेव पिता शंकर संगरामे, उम्र-24 वर्ष,  
निवासी ग्राम देवलगांव थाना अर्जुनी भोरगांव  
जिला गोंदिया महाराष्ट्र।

.....आरोपी

**::निर्णय::**

{ दिनांक **26 / 08 / 2017** को घोषित }

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो बार) के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 26.12.2013 को समय करीब 11:00 बजे चर्च के सामने मेन रोड थाना मलाजखंड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन जायलो महिन्द्रा क्रमांक एम.एच.31डी.एस.1512 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहतगण धनियाबाई, रोहित कुमार को टक्कर मारकर चोट पहुँचाकर उपहति कारित किया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 26.12.2013 को फरियादी धनियाबाई अपने लड़के रोहित वल्के के साथ मलाजखंड स्टेट बैंक जा रही थी। सायकिल उसका लड़का रोहित चला रहा था और वह सायकिल के पीछे बैठी थी। तभी करीब 11:00 बजे बिरसा तरफ से एक वाहन क्रमांक एम.एच.31.डी.एस. 1512 का चालक तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आया और पीछे से उनकी सायकिल को टक्कर मार दिया। टक्कर से वह और उसका लड़का रोहित वल्के गिर पड़े। टक्कर से उसे सिर में पीछे तरफ, बांये हाथ की कोहनी, कमर में चोटें आई तथा रोहित वल्के को दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने पैर के घुटने में चोटें आई थी। मौके पर योगेश कुमार मरकाम तथा संतकुमार ने देखे और उन्हें उठाये थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, वाहन की जप्ती तथा आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या आरोपी ने दिनांक 26.12.2013 को समय करीब 11:00 बजे चर्च के सामने मेन रोड थाना मलाजखंड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन जायलो महिन्द्रा क्रमांक एम.एच.31डी.एस.1512 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

(2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहतगण धनियाबाई, रोहित कुमार को टक्कर मारकर चोट पहुँचाकर उपहति कारित किया ?

#### ::सकारण व निष्कर्ष::

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

नोट:-साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. साक्षी रोहित वल्के अ0सा0-01 ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना पिछले साल शाम 04:00 बजे की है। वह अपनी माँ के साथ सायकिल से जा रहा था। उसकी माँ सायकिल में पीछे बैठी हुई थी, तभी पीछे से एक जीप आई और उन्हें टक्कर मारकर चली गई। टक्कर से उन लोग सायकिल से गिर गये, जिससे उसे और उसकी माँ को चोटें आई थी। उक्त जीप तेजी से आई थी। घटना के समय उक्त वाहन को आरोपी चला रहा था। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। पुलिस ने बाद में उनका ईलाज कराया था और उनका बयान लिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि सायकिल में अपनी माँ को बैठाकर मलाजखंड की तरफ जा रहा था और पीछे से जीप आ रही थी, वह मलाजखंड की तरफ देखते हुए जा रहा था, गिरने के बाद उसने जीप को देखा था, उसने मौके पर आरोपी को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। साक्षी के अनुसार उसकी माँ ने देखी थी। यह स्वीकार किया कि गाड़ी के बारे में उसे दूसरे लोगों ने बताया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने स्वयं गाड़ी नहीं देखी थी। उसने आरोपी को लाल कलर की गाड़ी चलाते हुए देखा था। यह स्वीकार किया कि वह आरोपी चालक का नाम नहीं जानता, जब उसने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट किया था, तब आरोपी घर पर आया था, तब उसने आरोपी को देखा था।

6. साक्षी धनियाबाई अ0सा0-02 ने कहा है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पिछले वर्ष दिन के करीब 11 बजे की है। वह भिमजोर से मलाजखंड उसके लड़के रोहित के साथ सायकिल में बैठकर जा रही थी, तभी एक सब्जी वाली चार पहिया गाड़ी आई और उन्हें पीछे से टक्कर मारकर चली गई। उक्त टक्कर से उन लोग मौके पर गिर गये, जिससे उसे पैर, सिर और कमर में चोटें आई थी। उक्त घटना में उसके लड़के रोहित को भी चोटें आई थी। घटना के समय उन लोग उनकी साईड से जा रहे थे। दुर्घटना चार पहिया वाहन की गलती से हुई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखंड में उसी दिन की थी। पुलिस ने उन लोगों का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे दुर्घटना कारित वाहन का नंबर नहीं मालूम है और वह आरोपी चालक को नहीं जानती है, उसने गाड़ी को पकड़वाने के लिये एक आदमी को भेजा था। उसे आज उस लड़के का नाम नहीं मालूम। यह स्वीकार किया कि उस लड़के के बताने पर उसने रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी के अनुसार उसने गाड़ी को देखा था, वह सफेद रंग की थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उस लड़के ने गाड़ी को नहीं देखा था, उक्त वाहन सब्जी वाली थी, गाड़ी किस रफ्तार से चल रही थी वह नहीं देख पाई थी। साक्षी के अनुसार गाड़ी वाले की गलती थी। उसके लड़के रोहित को घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

7. साक्षी संतकुमार उइके अ.सा.07 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। वह आहत धनियाबाई और रोहित को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पूर्व की दिन के 11:00 बजे की है। वह मलाजखंड जा रहा था, तो उसने देखा कि रोहित और धनियाबाई सड़क के किनारे गिरे पड़े थे। फिर उसने उन्हें उठाकर उनके घर ले गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक 26.12.2013 के 11:00 बजे की है, वह भीमजोरी से ग्राम चारटोला जा रहा था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि आरोपी अपने पीकअप वाहन को तेज गति, उतावलेपन व लापरवाहीपूर्वक चलाकर धनियाबाई को टक्कर मार दिया था तथा टक्कर लगने से रोहित और धनियाबाई दोनों सड़क पर गिर गये थे। उसे आज गाड़ी का नंबर याद नहीं है। यह अस्वीकार किया कि उस गाड़ी को चालक गुरुदेव चला रहा था तथा वह आज आरोपी से मिल गया है इसलिये उसे बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

8. साक्षी योगेश मरकाम अ0सा0-03 ने कहा है कि वह आरोपी एवं आहतगण को नहीं जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 26.12.2013 को दिन के करीब 11:00 बजे जब वह उसके दोस्त के साथ चर्च के सामने खड़ा था, तभी बिरसा तरफ से एक सफेद सिल्वर कलर की पीकअप गाड़ी क्रमांक एम.एच.31.डी.एस.1512 के चालक ने गाड़ी को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके गांव के रोहित वल्के की सायकिल को पीछे से टक्कर मार दिया था, उक्त वाहन से टक्कर लगने से रोहित एवं सायकिल में बैठी उसकी माँ गिर गई थी, उक्त दुर्घटना में दोनों को चोटें लगी थी, उसने पुलिस को प्र.पी.03 का दिया था, वह आरोपी से मिल गया है इसलिये घटना के बारे में जानकारी न होना व्यक्त कर रहा है तथा घटना के समय छुट्टी होने से वह चर्च के सामने ही खड़ा था, तब घटना घटित हुई थी।

9. डॉ० एम.मेश्राम अ.सा.06 ने कहा है कि वह दिनांक 26.12.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखंड के आरक्षक संदीप क्रमांक 317 द्वारा आहत रोहित को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया था। परीक्षण पर निम्न चोटें पाई थी। आहत के दाहिने हाथ की कोहनी पर तथा दाहिने घुटने पर खरोंचे थी। उसके मतानुसार उक्त चोटें किसी कड़ी व खुरदुरी वस्तु से रगड़ने से आना प्रतीत होती थी। उक्त चोटे साधारण प्रकृति की थी तथा उसके परीक्षण के 06 घंटे के पूर्व की थी, जिन्हें ठीक होने में पांच से सात दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक के द्वारा आहत श्रीमती धनियाबाई को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया था, परीक्षण करने पर निम्न चोटें पाया था। आहत धनियाबाई के सिर के पीछे भाग पर एक सूजन तथा बाईं कोहनी पर एक सूजन पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोटें किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती थी। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी तथा उसके परीक्षण से 06 घंटे पूर्व की थी, जिन्हें ठीक होने में आठ से दस दिन लग सकते थे। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के कथन से घटना के समय आहतगण को चोटें आने की पुष्टि होती है।

10. साक्षी संतोष मरकाम अ.सा.06 ने कहा है कि उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी गुरुदेव से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने आरोपी गुरुदेव



से एक जायलो वाहन क्रमांक एम.एस.31डी.एस.1512 एवं ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 बनाया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि कोई भी व्यक्ति कागजात पर हस्ताक्षर तभी करता है, जब कार्यवाही उसके समक्ष होती है। यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से प्र.पी.05 के अनुसार जायलो वाहन जप्त किया था, इसलिये उसने उस पर हस्ताक्षर किया था। यह भी अस्वीकार किया कि वह आरोपी से मिल गया है इसलिये असत्य कथन कर रहा है।

**11.** साक्षी संतकुमार अ0सा0-4 ने कहा है कि वह दिनांक 28.12.2013 को थाना मलाजखंड में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा उक्त दिनांक को जायलो पीकअप वाहन क्रमांक एम.एच.31डी.एस.1512 का मैकेनिकल मुलाहिजा किया गया था। परीक्षण पर उसने उक्त जायलो पीकअप का ट्राला पीछे से चिपका था, इंडीकेटर ठीक-ठाक था, उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वाहन जायलो पीकअप एन.एन. पुगलिया कन्ट्रैक्शन का है, वाहन डीजल लाने ले जाने का काम करती है। डीजल के ड्रम उतारने में पीछे का डाला बेंड हो जाता है। यदि एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति ट्राला से टकराता है तो ट्राला नहीं पिचकता।

**12.** साक्षी मुकेश अ0सा0-08 ने कहा है कि वह दिनांक 26.12.2013 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उपनिरीक्षक के0एस0 पंवार उसके साथ मलाजखंड थाने में पदस्थ थे, जिनके हस्ताक्षर से साथ कार्यरत होने के कारण वह परिचित है। उपनिरीक्षक पंवार द्वारा दिनांक 26.12.2013 को प्रार्थी धनियाबाई की शिकायत पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेख की गई थी, जिसके बी से बी भाग पर उपनिरीक्षक पंवार के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.12.2013 को उपनिरीक्षक पवार द्वारा प्रार्थी धनियाबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उपनिरीक्षक पवार के हस्ताक्षर हैं। उपनिरीक्षक पवार द्वारा दिनांक 29.12.2013 को गवाह रोहित और संतोष के समक्ष आरोपी से जायलो पीकअप क्रमांक एम.एच.31.डी.एस.1512 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उपनिरीक्षक पवार के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही गवाह शिव तथा लक्ष्मीकांत के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.08 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उपनिरीक्षक पवार के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.12.2013 को उपनिरीक्षक पवार द्वारा प्रार्थी धनियाबाई, गवाह रोहित, योगेश, संतकुमार के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे। उपनिरीक्षक पवार द्वारा आरोपी को धारा-133 मो. व्ही. एक्ट का नोटिस दिया था, जिसका जवाब उसी नोटिस पर आरोपी द्वारा दिया गया था। उक्त नोटिस प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उपनिरीक्षक पवार के हस्ताक्षर हैं। वाहन परीक्षण आरक्षक संतकुमार से करवाने के पश्चात उपनिरीक्षक पवार

द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

**13.** साक्षी मुकेश अ0सा0-08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि के0एस0 पवार के हस्ताक्षर प्रतिदिन उसे देखने को नहीं मिलते थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि वह उक्त प्रकरण की विवेचना में के0एस0 पवार के साथ नहीं गया था, उसे उक्त प्रकरण में कहीं पर भी हस्ताक्षर करने का मौका नहीं आया, उसके समक्ष उक्त प्रकरण की किसी भी कार्यवाही में उपनिरीक्षक पवार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे।

**14.** घटना का समर्थन आहतगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने नहीं किया है। उक्त आहतगण ने भी घटना अभियुक्त द्वारा कारित करने के संबंध में विरोधाभासी कथन किये हैं। रोहित वल्के अ.सा.01 ने मौके पर आरोपी को न देखना व्यक्त कर माँ के द्वारा देखने के कथन किये गये हैं तथा आरोपी को लाल कलर की गाड़ी चलाते हुए देखना व्यक्त किया है, जबकि परिवादी धनियाबाई अ.सा.02 ने लड़के के बताये अनुसार रिपोर्ट करने के कथन किये हैं तथा मौके पर सफेद रंग की गाड़ी को देखना व्यक्त किया है। यद्यपि स्वयं अभियुक्त ने भी घटना के समय अन्यत्र उपस्थित होने अथवा वाहन चालन नहीं करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। तथापि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के विरोधाभासी कथनों से घटना आरोपी द्वारा कारित किये जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि धारा-133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस प्र.पी.09 पर आरोपी के हस्ताक्षर को प्रमाणित भी नहीं किया गया है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि घटना आरोपी द्वारा कारित की गई, तब भी घटना आरोपी की गलती के संबंध में प्रकरण में अपुष्ट साक्ष्य है। दोनों आहतगण ने अपनी साईड में चलने के दौरान आरोपी द्वारा पीछे से टक्कर मार देने के कथन किये हैं, जबकि मौका-नक्शा प्र.पी.02 से स्वयं आहतगण का सड़क के विपरीत दिशा की ओर होना दर्शित होता है। वाहन की गति के संबंध में भी प्रकरण में कोई समुचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 से भी वाहन के अग्रभाग में किसी प्रकार की टूट-फूट अथवा खरोच दर्शित नहीं है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वाहन चालन प्रमाणित नहीं है और ना ही उपेक्षा एवं उतावलेपन के संबंध में समुचित साक्ष्य है, जिससे अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 26.12.2013 को समय करीब 11:00 बजे चर्च के सामने मेन रोड थाना मलाजखंड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन जायलो महिन्द्रा क्रमांक एम.एच.31डी.एस.1512 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहतगण धनियाबाई, रोहित कुमार को टक्कर मारकर चोट पहुँचाकर उपहति कारित किया था।

अतः अभियुक्त गुरुदेव को भा.दं०सं० की धारा-279, 337(दो बार) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन जायलो महिन्द्रा क्रमांक एम.एच.31डी.एस. 1512 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

17. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)